राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (198)परि/नियम/मु./BH–2021/18453 जयपुर, दिनांक 08/10/2021

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
....समस्त।

विषयः– BH–सीरीज के पंजीयन हेतु जारी दिशा–निर्देश।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जी.एस.आर 294(ई) दिनांक 26.08.2021 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम (20 वां संशोधन) नियम, 2021 जारी किये गये है जो दिनांक 15 सितम्बर 2021 से प्रभावी होगें। भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में वाहनों के निर्बाध स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उक्त संशोधन नियम, 2021 द्वारा गैर परिवहन वाहनो के रजिस्ट्रेशन हेतु नयी बीएच सीरीज जारी की गई है। बीएच सीरीज कोड के पंजीयन करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. बीएच सीरीज यान के लिए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह सफेद पृष्ठ भूमि पर काले रंग में होगा और निम्नलिखित रीति से प्रदर्शित होगाः–

   "YYBH####XX"

   YY –रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के अंतिम दो अंक,
   BH- भारत सीरीज कोड ''BH'' के रूप में
   ####- चार अंको 0001 से 9999
   XX - A, B,C,D......... और उसके बाद AA, AB, ... AZ, BA, BB..... से ZZ तक से 'I' & 'O' वर्जित होगें।

2. सरकारी कार्यालय में कार्यरत यान स्वामी एवं निजी क्षेत्र के ऐसे संगठन/कम्पनी जिनके चार या चार से अधिक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यालय अवस्थित है, में कार्यरत यान स्वामी ही BH सीरीज के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के पात्र होगें।
3. निजी क्षेत्र मे कार्य करने वाले आवेदक के मामले में बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. सरकारी कार्यालय में कार्यरत आवेदक को बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन हेतु आधिकारिक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. BH सीरीज के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के मामले में यान स्वामी के द्वारा स्वेच्छापूर्वक चुनाव किया जाएगा अर्थात् पात्र वाहन स्वामी द्वारा अपने यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए BH सीरीज के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य नहीं है।

6. रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 60 में कार्यात्मक प्रमाण–पत्र या आधिकारिक पहचान–पत्र (जो भी लागू हो), के सत्यापन के पश्चात् पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक (Randomly) रूप से रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदान किया जाएगा।

7. BH सीरीज के गैर परिवहन यानों पर मोटर यान कर की गणना एवं उद्ग्रहण केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 51(ख) में वर्णित रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे मामलों में, जहॉ यान BH सीरीज रजिस्ट्रीकरण रखता है तो वाहन स्वामी नियम 51(ख) के उपनियम (3) के अनुसार संगणित (Calculated) राशि का न्यूनतम 2 वर्ष या इसके 2 के गुणज (Multiplics) के लिए कर जमा करवा सकता है।

8. BH सीरीज रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले यान का स्थानान्तरण जिस राज्य में वाहन पंजीकृत है उस राज्य से दूसरे राज्य में होने पर Assignment of new registration mark किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथापि वाहन स्वामी द्वारा तीस दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल के माध्यम से प्रारूप 33 में अपने निवास स्थान के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि बीएच सीरीज के पंजीयन के संबंध में पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर अपने क्षेत्राधिकार के व्यवसाय प्रमाण–पत्र धारक डीलर्स द्वारा BH सीरीज के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावें।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक :– प.7 (198)परि/नियम/मु./BH–2021/18444-51 जयपुर, दिनांक 08/10/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं सिस्टम एनालिस्ट।
8. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव